24-10-2024

निर्णय
20.9.2024

फर्द अहकाम
(नियम 15)

2024/514

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ

दलबीर खां   बनाम   स्टेट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट   प्रकरण संख्या 378 वर्ष 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
06.08.2024	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 20.08.2024 को पेश हो। [signature]	
20.8.2024	वकुलाए फरीकैन उपस्थित/PU मार्फत अनुपस्थित [illegible] है। पत्रावली प्रतिवाद [illegible] दिनांक 20.09.2024 [illegible] पेश हो। [signature]	
20.9.2024	वकुलाए फरीकैन उपस्थित। स्टेट जवाब प्राप्त हुआ। साइड में शपथ-पत्र पेश किया। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड आदि के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाता है। पूर्ण विवरण सहित निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल फाईल किया जावे। पत्रावली नक्शे से कम की जाकर बाद तकमील तकमील जाकर दाखिल दफ्तर हो। [signature]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.09.21 18:23:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :– 378/2024 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

दलवीर खां पुत्र रूलिया खांन जाति मुसलमान निवासी पोहड़का तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।

–वादी

बनाम

तहसीलदार(राजस्व) पल्लू, तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ।

–प्रतिवादीगण

उपस्थितः– श्री विनोदकुमार स्वामी वकील–वादी
पेरोकार राज–प्रतिवादी

निर्णय दिनांक– 20.09.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष श्री विनोदकुमार स्वामी वकील वादी व पेरोकारराज तहसीलदार राजस्व रावतसर उपस्थिति में वाद वादी डिक्री करते हुए घोषणा कि जाती है कि रोही मौजा पोहड़का बारानी के खाता संख्या 182/140 की 10.7540 हैक्टेयर कृषि भूमि में दर्ज वादी का नाम दलबीर पुत्र रूलीखां, चक नम्बर 5 पीआरकेएम के खाता संख्या 84/83 की 11.7770 हैक्टेयर में से 1636/35331 हिस्सा में दर्ज वादी का नाम दलमीर खां पुत्र रूलियेखां व रोही मौजा पोहड़का बारानी के खाता संख्या 183/141 की 0.7590 हैक्टेयर में दर्ज वादी का नाम दलमीर खां पुत्र रूलिया खां व पोहड़का बारानी के खाता संख्या 396/321 की 0.0700 हैक्टेयर में दर्ज वादी का नाम दलमीर पुत्र रूलियेखां, रोही मौजा पोहड़का बारानी के खाता संख्या 494/397 की 12.6500 हैक्टेयर में से 1/18 हिस्सा भूमि में दर्ज वादी का नाम दलमीर खां पुत्र रूलियेखां के स्थान पर दलवीर खां पुत्र रूलिया खांन दुरूस्त किये जाने की घोषणा की जाती है तथा शेष अंकन जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 20.09.2024 को जारी की गई।

(संजय कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.09.21 18:23:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner